

मामलों की वचाराधीनता

यह एडिटोरियल दैनिक 25/05/2021 को 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित लेख "Spike in other caseload" पर आधारित है। इसमें भारतीय न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के नरिणयन में देरी और मामलों के शीघ्र नपिटान में उनकी क्षमताओं पर चर्चा की गई है।

कोवडि-19 महामारी ने भारत में सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक व्यवस्था के लगभग प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है और जाहिर तौर पर न्यायपालिका भी इससे अछूती नहीं रही है। मार्च 2020 के बाद से अब तक न्यायालयों ने कुल मलाकर भी अपने केसलोड के साथ काम ही नहीं किया है।

बहरहाल जब मार्च 2020 का लॉकडाउन घोषित किया गया था तब सभी स्तरों पर मामलों की संख्या 3.68 करोड़ थी और हाल ही में यह संख्या 4.42 करोड़ तक पहुँच चुकी है।

भारतीय न्यायालयों में अत्यधिक कार्य सूची के कारण उत्पन्न होने वाली मामलों के नपिटान में यह देरी और अक्षमता लंबे समय से चर्चा का विषय रही है तथा यह स्थिति इस कहावत को चरितार्थ करती नज़र आ रही है कि "न्याय में देरी न्याय से वंचित होना है" (Justice delayed is justice denied)।

इस प्रकार न्यायिक सुधारों को यदगिंभीरता से लिया जाए तो शीघ्र एवं प्रभावी न्याय प्रदान किया जा सकता है।

देरी के कारण

- **स्थायी रकित्तियाँ:** भारत भर में न्यायालयों की स्वीकृत संख्या के हिसाब से रकित्तियाँ भरी नहीं जाती हैं और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में ये रकित्तियाँ 30 प्रतिशत से अधिक हैं।
 - इसके कारण नचिली अदालतों में मुकदमे की औसत प्रतीक्षा अवधि लगभग 10 वर्ष तथा उच्च न्यायालयों में 2-5 वर्ष है।
- **अधीनस्थ न्यायपालिका की खराब स्थिति:** देश भर में ज़िला अदालतें भी अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और खराब कामकाजी परिस्थितियों से ग्रसति हैं, जनिमें भारी सुधार की आवश्यकता है, विशेष रूप से तब जब वे उच्च न्यायपालिका द्वारा उठाई गई डिजिटल अपेक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं।
 - इसके अलावा न्यायालयों, चकित्तिसकों एवं ग्राहकों के मामले में महानगरों और उससे बाहर के लोगों के बीच एक डिजिटल डिवाइड भी मौजूद है। इस जर्जर बुनियादी ढाँचे और डिजिटल नरिक्षरता की बाधाओं को दूर करने में वर्षों लग सकते हैं।
- **सरकार, सबसे बड़ी याचिकाकर्त्ता:** खराब प्रारूप वाले आदेशों के परिणामस्वरूप कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद के 4.7 प्रतिशत के बराबर है और यह लगातार बढ़ रहा है।
 - न्यायालय में लंबित याचिकाओं के कारण लगभग 50,000 करोड़ रुपए की परयोजनाएँ अधर में हैं और इसके चलते निवेश में भी कमी आ रही है। ये दोनों जटलिताएँ न्यायालयों द्वारा दिये गए नषिधाज्जा और स्थगन आदेशों (मुख्यतः खराब प्रारूप और खराब तर्क वाले आदेश) के कारण उत्पन्न हुई हैं।
- **कम बजटीय आवंटन:** न्यायपालिका को आवंटित बजट सकल घरेलू उत्पाद के 0.08 और 0.09% के बीच है। केवल चार देशों (जापान, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और आइसलैंड) का बजटीय आवंटन कम है लेकिन भारत की तरह इन देशों में न्याय में देरी की समस्या नहीं है।
- **लंबे अवकाश की प्रथा:** आमतौर पर नचिली आदालतों में वदियमान लंबे अवकाश की प्रथा भी मामलों के वचाराधीन होने का एक प्रमुख कारण है।
- **मूल्यांकन का अभाव:** नया कानून बनाते समय इसका कोई न्यायिक प्रभाव आकलन नहीं होता है कि सरकार द्वारा न्यायपालिका पर कतिना बोझ डाला जाना है।
 - अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
- **न्यायिक नयिकृति में देरी:** उच्च न्यायालयों में रकित्त पदों को भरने के लिये कॉलेजियम (Collegium) द्वारा की गई सफारिशें सरकार के पास सात महीने से एक वर्ष तक लंबित रही हैं।
 - सभी 25 उच्च न्यायालयों में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 1,080 है। हालाँकि मार्च 2021 तक इनमें से केवल 661 न्यायाधीश (419 रकित्तियाँ) ही कार्यरत हैं।
 - सरकार का मानना है कि इन खाली पदों पर नयिकृति प्रक्रिया में देरी के लिये कॉलेजियम प्रणाली और उच्च न्यायालय ज़मिमेदार हैं।

आगे की राह

- **पर्याप्त बजट:** न्युक्तियों और सुधारों के लिये महत्त्वपूर्ण और आवश्यक व्यय की आवश्यकता होगी।
 - पंद्रहवें वित्त आयोग और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट/भारत न्याय रिपोर्ट 2020 की सफारिशों ने इस मुद्दे को उठाया है तथा वित्त का निर्धारण हेतु उपाय सुझाए हैं।
- **परसुप्त/नषिकरयि जनहति याचिकाएँ:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी 'हाइबरनेटिंग' (परसुप्त/नषिकरयि) जनहति याचिकाओं (जो उच्च न्यायालय के समक्ष 10 से अधिक वर्षों से लंबित हैं) तथा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक नीतियां कानून के प्रश्न से संबंधित नहीं हैं, का संक्षेप में ही नपिटान करना अनविरय कर दया जाना चाहयि।
- **ऐतहासक असमानताओं में सुधार करना:** न्यायपालका सम्बन्धी सुधारों में न्यायपालका के भीतर सामाजक असमानताओं को दूर करना भी शामिल होना चाहयि।
 - महिला न्यायाधीशों और ऐतहासक रूप से हाशयि पर रहने वाली जातयिों एवं वर्गों से संबंधित न्यायाधीशों को अंततः सीटों का उचित हसिसा दया जाना चाहयि।
- **वैकल्पक ववाद समाधान को बढ़ावा देना:** प्रत्येक मामले को न्यायालय परसिर के भीतर हल करना अनविरय नहीं है बल्क अनय संभावत प्रणालयिों का भी उपयोग कया जाना चाहयि। यह अनविरय कया जाना चाहयि क सभि वाणजयिक मुकदमों पर तभी वचार कया जाएगा जब याचकाकर्त्ता की ओर से एक हलफनामा प्रस्तुत कया जाए जसमें यह उल्लेख कया गया हो क मध्यस्थता और सुलह का प्रयास कया गया है और वफल हो गया है।
 - वैकल्पक ववाद समाधान, लोक अदालतों, ग्राम न्यायालयों जैसे तंत्रों का प्रभावी ढंग से उपयोग कया जाना चाहयि।
 - वैकल्पक ववाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने के लयि **मध्यस्थता और सुलह अधनयिम** (Arbitration and Conciliation) में तीन बार संशोधन कया गया है ताक सुलह या मध्यस्थता द्वारा मुकदमेबाज़ी को कम कया जा सके।
- **नयुक्त प्रणाली को सुव्यवस्थत करना:** रक्तयिों को बना कसी अनावश्यक वलंब के भरा जाना चाहयि।
 - न्यायाधीशों की नयुक्त के लयि एक उचित समय-सीमा निर्धारत करके इन नयुक्तयिों के लयि अग्रमि सफारशों की जानी चाहयि।
 - **अखलि भारतीय न्यायक सेवा** (All India Judicial Service) का गठन भारत को एक बेहतर न्यायक प्रणाली स्थापत करने में नश्चित रूप से मदद कर सकता है।

नषिकरष

अदालतें लंबत मामले रूपी बम पर बैठी हैं ऐसे में न्यायपालका को सक्षम बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस प्रकार, भारतीय न्यायपालका की वर्तमान स्थत के बारे में समग्र और यथार्थवादी दृष्टकोण अपनाने की आवश्यकता है।

अभ्यास प्रश्न: अदालतें लंबत मामले रूपी बम पर बैठी हैं और ऐसे में न्यायपालका सक्षम बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। चर्चा कीजयि।